



# सभापति का भाषण

इण्डियन नेशनल काँग्रेस

तिरुपनवाँ अधिवेशन

रामगढ़, मार्च १९४०

+ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद

A

H

320.4

AZ A

~~2278~~

L906 AY

दोस्तो !

सन् १९२३ मे आपने मुझे इस राष्ट्रीय महासभा का सभापति चुना था। अब १७ साल के बाद दोबारा आपने मुझे यह इज्जत बख्शी है। कौमो की जिन्दगी मे या उनके सघर्ष के इतिहास मे १७ साल कोई बडा समय नही है। लेकिन दुनिया मे इतनी तेजी के साथ तब्दीलियाँ हो रही है कि अब समय के पुराने अन्दाजे काम नही दे सकते। इन १७ साल के अन्दर एक दूसरे के बाद बहुत सी मजिले हमारे सामने आती रही। हमारी यात्रा लम्बी थी और हमारा बहुत [सी मजिलो से होकर गुजरना जरूरी था। हम हर मजिल मे ठहरे, किन्तु कही रुके नही। हमने हर मुकाम को देखा भाला मगर हमारा दिल कही भी अटका नही। तरह तरह के उतार चढाव हमारे सामने आए किन्तु हर हालत मे हमारी दृष्टि आगे ही की ओर रही। दुनिया को हमारे इरादो के विषय मे सन्देह भले ही रहे हो किन्तु हमे अपने फैसलो के उचित होने मे कभी सन्देह नही हुआ। हमारा मार्ग कण्टको से भरा था। हमारे सामने पग पग पर बडी बडी रुकावटे थी। हम जितनी तेजी से चलना चाहते थे नही चल सके। लेकिन हमने अपनी शक्ति भर आगे बढ़ने मे कभी कसर नही की। अगर हम सन् १९२३ और सन् १९४० के बीच की यात्रा पर नजर डाले तो हमे अपने पीछे, बहुत दूर, एक धुधला सा निशान दिखाई देता है। सन् २३ मे हम अपनी मजिले मकसूद यानी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते थे। मगर वह मजिल हमसे इतनी दूर थी कि उस तक पहुँचने के मार्ग का निशान भी हमारी आँखो से ओभल था। लेकिन आज नजर उठाइये और सामने की तरफ देखिये—न केवल मार्ग का निशान ही साफ साफ दिखाई दे रहा है बल्कि खुद मजिल भी दूर नही है। हाँ ! यह जाहिर है कि ज्यो ज्यो मजिल निकट आती जाती है हमारे प्रयत्नो की परीक्षा भी बढती जाती है। आज नित्य नई घटनाओ ने जहाँ हमे पिछले निशानो से दूर और आखिरी मजिल (लक्ष्य) के नज-

दीक लाकर खडा कर दिया है वहाँ इन्ही घटनाओं ने तरह तरह की नई नई उल-भने और मुश्किले भी पैदा कर दी है, और एक बहुत ही नाजुक परिस्थिति, एक अत्यंत सकटपूर्ण मार्ग से इस समय हमारा कौमी काफला गुजर रहा है। इस तरह की नाजुक परिस्थितियों की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि उनमें आगे के लिये एक दूसरे के विरुद्ध सभावनाएँ दिखाई देती हैं। बहुत संभव है कि एक ठीक कदम हमें अपने लक्ष्य के बिल्कुल पास पहुँचा दे और यह भी संभव है कि एक गलत कदम हमें तरह तरह की नई मुश्किलों में फँसा दे। ऐसे नाजुक समय में आपने मुझे सभापति चुनकर मुझपर जिस भरोसे का सबूत दिया है वह निस्संदेह बड़े से बड़ा भरोसा है जो देश-सेवा के मार्ग में आप अपने किसी भी साथी पर कर सकते थे। यह बहुत बड़ी इज्जत है। इसीलिये यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं इस इज्जत के लिये शुक्रगुजार हूँ और जिम्मेदारी के लिये आपके सहयोग का सहारा चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि जिस उत्साह के साथ आपने मुझ पर इस भरोसे को प्रकट किया है उम्मीद उत्साह के साथ आप सब का सहयोग भी मुझे मिलता रहेगा।

## इस समय का असली सवाल

अब मैं समझता हूँ मुझे बिना किसी भूमिका के समय के असली सवाल पर आ जाना चाहिये।

हमारे लिये समय का सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ३ सितम्बर सन् १९३६ के जग के एलान के बाद हमने जो कदम उठाया है वह किस तरफ जा रहा है और इस समय हम कहाँ खड़े हैं।

शायद कांग्रेस के इतिहास में उसके मानसिक चित्र का यह एक नया रंग था कि सन् १९३६ की लखनऊ की बैठक में यूरोप की अन्तर्राष्ट्रीय (इण्टरनेशनल) परिस्थिति, पर एक लम्बा प्रस्ताव मजूर करके कांग्रेस ने अपने नुक्ते ख्याल, अपने दृष्टिकोण का साफ साफ एलान कर दिया, और उस समय से ही वह प्रस्ताव

काँग्रेस के सालाना एलानो का एक महत्त्वपूर्ण और जरूरी हिस्सा बन गया। मानो इस बारे में हमारा वह एक सोचा समझा फैसला था जो हमने दुनिया के सामने रख दिया।

इन प्रस्तावों के जरिये हमने दुनिया के सामने एक साथ दो बातों का एलान किया था—

सबसे पहली बात जिसे मैं भारतीय राजनीति का एक नया रंग कहता हूँ हमारा यह अनुभव करना था कि हम अपनी आजकल की बेबसी की हालत में भी शेष सत्तार की राजनैतिक परिस्थिति से अलग नहीं रह सकते। आवश्यक है कि हम अपने लिये भविष्य का मार्ग बनाते हुए भी केवल अपने ही चारों ओर न देखें, बल्कि बाहर की दुनिया पर भी बराबर नजर रखें। समय के अनन्त परिवर्तनों ने मुल्कों और कौमों को इस तरह एक दूसरे के नजदीक कर दिया है और विचारों और क्रियाओं की लहरें दुनिया के एक कोने से उठकर इस तेज़ी के साथ दूसरे कोनों पर असर डालना शुरू कर देती हैं कि आजकल की अवस्था में यह असंभव है कि हिन्दुस्तान अपने प्रश्नों को सिर्फ अपनी चहार दीवारी के अन्दर बन्द रहकर सोच सके और हल कर सके। असंभव है कि बाहर के हालात हमारी हालत पर तुरन्त असर न डालें, और असंभव है कि हमारी अपनी हालतों और हमारे फैसलों से दुनिया की हालतों और दुनिया के फैसलों पर असर न पड़े। लखनऊ का प्रस्ताव हमारे इस बात को अनुभव कर लेने का ही नतीजा था। उन प्रस्तावों के जरिये हमने एलान किया कि यूरोप में डेमोक्रेसी यानी जनतंत्र के और व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वाधीनता के विरुद्ध, दुनिया को पीछे की ओर घसीटनेवाली, फासी-इज्म और नाजीइज्म की जो तहरीकें दिन बदिन जोर पकड़ती जा रही हैं हिन्दुस्तान उन्हें दुनिया की तरक्की और शान्ति के लिये एक विश्वव्यापी आपत्ति समझता है और उसका दिल और दिमाग उन कौमों के साथ है जो कौमों जनतंत्र और आजादी की रक्षा के लिये इन तहरीकों का मुकाबला कर रही हैं।

लेकिन जब कि हमारा दिमाग फासीइज्म और नाजीइज्म के खतरों की ओर जा रहा था तो असंभव था कि हम उस पुराने खतरे को भूल जाते जो इन नई

ताकतो से कहीं बढ़कर दुनिया की शान्ति और आजादी के लिये घातक साबित हो चुका है और जिसने सचमुच दुनिया को पीछे घसीटनेवाली (रिएक्शनरी) इन नई तहरीकों के पैदा होने के लिये सारी सामग्री जमा कर दी है। मेरा मतलब ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत से है। इसे हम उन नई रिएक्शनरी ताकतों की तरह दूर से नहीं देख रहे हैं। यह स्वयं हमारे घर पर कब्जा जमाए हमारे सामने खड़ी है। इसलिये हमने साफ साफ शब्दों में यह बात भी खोल दी कि अगर यूरोप के इन नए भूगडों ने लडाई का रूप धारण कर लिया तो हिन्दुस्तान जो आजादी के साथ इरादा करने और अपने लिये स्वयं अपना मार्ग पसन्द करने से वंचित कर दिया गया है उस लडाई में कोई हिस्सा न लेगा। हिन्दुस्तान केवल उसी हालत में हिस्सा ले सकता है जब कि उसे अपनी आजाद मरजी और आजाद राय से फैसला करने का अधिकार हो। वह नाजीइज्म और फासीइज्म से बेजार है किन्तु उसमें भी ज्यादा वह ब्रिटिश साम्राज्य से बेजार है। यदि हिन्दुस्तान आजादी के अपने जन्म सिद्ध अधिकार से वंचित रहता है तो इसके साफ साफ माइने यह है कि ब्रिटिश साम्राज्य अपने तमाम परम्परागत व्यवहार के साथ जीवित है, और हमारा मुल्क किसी हालत में भी इस बात के लिये तैयार नहीं है कि ब्रिटिश साम्राज्य की विजयों में मदद दे। यह दूसरी बात थी जिसका हमारे प्रस्ताव बराबर एलान करते रहे।

ये प्रस्ताव लखनऊ काँग्रेस से लेकर अगस्त सन् १९३६ तक मजूर होते रहे और “लडाई के प्रस्तावों” के नाम से मशहूर है।

जबकि अचानक अगस्त सन् १९३६ के तीसरे सप्ताह में लडाई के बादल गरजने लगे और ३ सितम्बर को लडाई शुरू हो गई उस समय काँग्रेस के ये सब प्रस्ताव ब्रिटिश गवरमेंट के सामने थे।

अब मैं इस मौके पर एक मिनट के लिये आपको आगे बढ़ने से रोकूंगा और प्रार्थना करूंगा कि जरा पीछे मुड़ कर देखिये। अगस्त सन् ३६ के महीने को आपने किस परिस्थिति में छोड़ा है ?

ब्रिटिश गवरमेंट ने ‘गवरमेंट आफ इंडिया एक्ट सन् ३५’ जबरदस्ती हिन्दु-

स्तान के सर मढा और सदा के अनुसार दुनिया को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि इगलिस्तान ने हिन्दुस्तान को उसके कौमी अधिकार की एक बहुत बडी किस्त अदा कर दी। काँग्रेस का फैसला इस विषय मे दुनिया को मालूम है। फिर भी काँग्रेस ने कुछ समय के लिये रुके रहने और दम लेने का इरादा किया। काँग्रेस इस पर राजी होगई कि एक खास शर्त के साथ वजारते लेना स्वीकार कर ले। ग्यारह सूबो मे से आठ मे काँग्रेस की वजारते सफलता के साथ काम कर रही थी। यह बात स्वय ब्रिटिश सरकार के हक मे फायदे की थी कि जितनी देर तक मुमकिन हो सके वह इस परिस्थिति को कायम रखे। इस परिस्थिति का एक दूसरा पहलू भी था। वह यह कि जहाँ तक लडाई की ऊपरी मूरत का सबध है हिन्दुस्तान साफ शब्दो मे नाजी जर्मनी से अपनी बेजारी का एलान कर चुका था। उसकी हमदर्दी जनतत्र यानी डेमोक्रेसी का पक्ष लेनेवाली कौमो के साथ थी और यह पहलू भी ब्रिटिश गवरमेट के हक मे था। ऐसी हालत मे कुदरती तौर पर यह आशा की जा सकती थी कि अगर ब्रिटिश गवरमेट की पुरानी साम्राज्य प्रेमी मनोवृत्ति मे कुछ भी परिवर्तन हुआ है तो कम से कम ऊपरी दिखावे (डिप्लोमेसी) ही की खातिर वह जरूर इस बात की आवश्यकता अनुभव करेगी कि इस अवसर पर अपना पुराना ढग बदल दे और हिन्दुस्तान को यह अनुभव करने का मौका दे कि अब हिन्दुस्तान एक नए बदले हुए वायुमडल मे साँस ले रहा है। लेकिन हम सबको मालूम है कि इस अवसर पर ब्रिटिश गवरमेट का व्यवहार कैसा रहा। हृदय परिवर्तन की कोई जरा सी परछाही भी उस पर पडती हुई दिखाई नहीं दी। ठीक उसी तरह जैसा कि १५० साल तक उसकी साम्राज्य प्रेमी प्रकृति का ढग रहा है उसने अपने तर्जे अमल, अपने व्यवहार, का फैसला कर लिया और बिना इसके कि किसी रूप मे या किसी दरजे तक भी हिन्दुस्तान को अपनी राय जाहिर करने का मौका दे उसने हिन्दुस्तान के लडाई मे शामिल हो जाने का खुद ही एलान कर दिया। इस बात तक की जरूरत महसूस नहीं की गई कि उन चुनी हुई असेम्बलियो ही को अपनी राय जाहिर करने का मौका दे दिया जाता जिन्हे खुद ब्रिटिश गवरमेट ने अपनी राजनैतिक उदारता का



प्रदर्शन करते हुए हिन्दुस्तान के सिर थोपा है ।

हमें मालूम है, और सारी दुनिया को मालूम है, कि इस अवसर पर ब्रिटिश साम्राज्य के और सब मुल्को को अपने अपने व्यवहार, अपने अपने तर्जें अमल, के फैसले का मौका दिया गया था। कनेडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, दक्खिन अफरीका, आयरलैण्ड सबने लडाईं में शरीक होने न होने का फैसला अपनी अपनी धारा सभाओं में बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के स्वयं किया। इतना ही नहीं बल्कि आयरलैण्ड ने जग में शरीक होने के स्थान पर तटस्थ रहने का फैसला किया और आयरलैण्ड के इस फैसले पर इंगलिस्तान के किसी बाशिन्दे को आश्चर्य नहीं हुआ। मिस्टर डी वेनरा ने ब्रिटेन के साए में खड़े होकर साफ साफ कह दिया कि जब तक अल्सटर के प्रश्न का सन्तोषजनक निबटारा नहीं होना तब तक आयरलैण्ड लडाईं में ब्रिटेन की मदद करने से इनकार करता है ।

लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य में हिन्दुस्तान की जगह कहाँ है ? जिस हिन्दुस्तान को आज यह कीमती खुशखबरी सुनाई जा रही है कि उसे ब्रिटिश सरकार के उदार हाथों से जल्दी ही—किन्तु किसी को नहीं मालूम कि कब—एक ब्रिटिश डोमीनियन या ब्रिटिश उपनिवेश का पूरा रूतबा (स्टेटस) मिलनेवाला है उसके अस्तित्व को किस तरह स्वीकार किया गया ? इस तरह कि उस लडाईं के अन्दर, जो ससार के इतिहास में शायद सबसे बड़ी, सबसे भयकर, लडाईं होगी, हिन्दुस्तान को अचानक ढकेल दिया गया, यहाँ तक कि हिन्दुस्तान को पता भी न चला कि वह लडाईं में शरीक हो रहा है ।

केवल एक इसी घटना से हम ब्रिटिश गवरनेट के आजकल के मिजाज और उसके रुख को उसके असली रंग रूप में देख सकते हैं। किन्तु, नहीं, हमें जल्दी नहीं करना चाहिये। और भी मौके हमारे सामने आने वाले हैं। वह समय दूर नहीं है जब कि हम ब्रिटिश गवरनेट को और अधिक निकट से और और अधिक बेपरदा देखने लगेंगे ।

सन् १९१४ की लडाईं की पहली चिनगारी बलकान के एक कोने में सुलगी

थी। इसलिये इगलिस्तान और फ्रांस ने छोटी कौमो के अधिकारो के नारे लगाने शुरू कर दिये थे। फिर पुण्यस्मृति प्रेजिडेण्ट विल्सन के १४ प्वाइट दुनिया के सामने आए। उनका जो कुछ नतीजा हुआ दुनिया को मालूम है। इस बार परिस्थिति दूसरी थी। पिछली लडाई के बाद इगलिस्तान और फ्रांस ने जीत के नशे मे जो रवइया अख्तियार किया था उसका कुदरती नतीजा यह था कि एक नई प्रतिक्रिया शुरू हो जाय। वह शुरू हुई। उसी ने इटली मे फासीइज्म और जर्मनी मे नाजीइज्म का रूप लिया और पाशविक शक्ति के बल पर डिक्टेटरशिप यानी एक आदमी को अमित और अनन्य सत्ता दुनिया की शान्ति और आजादी को ललकारने लगी। जब यह परिस्थिति पैदा हुई तो स्वाभाविक था कि दो नए दल दुनिया मे एक दूसरे के आमने सामने आ खडे हो। एक जनतंत्र और आजादी का साथ देनेवाला दल और दूसरा प्रतिक्रियावादी ताकतो का साथ देनेवाला। इस प्रकार लडाई का एक नया नक्शा बनना शुरू हो गया। मिस्टर चेम्बरलेन की गवरमेट, जिसके लिये फासिस्ट इटली और नाजी जर्मनी से कही ज्यादा सोवियट रूस का अस्तित्व असह्य था और जो सोवियट रूस को ब्रिटिश साम्राज्य के लिये एक जिन्दा ललकार समझती थी, तीन बरस तक इस दृश्य का तमाशा देखती रही। इतना ही नही बल्कि इगलिस्तान ने अपने व्यवहार से खुले तौर पर फासिस्ट और नाजी ताकतो के हौसले बढाए। अबीसीनिया, स्पेन, आस्ट्रिया, जीकोस्लोवेकिया और अल्बानिया के अस्तित्व एक के बाद एक दुनिया के नक्शे से मिटते गये और ब्रिटिश गवरमेट ने अपनी डगमगाती हुई पालिसी से उन्हे दफन करने मे बराबर मदद दी। किन्तु जब इन बातो का कुदरती नतीजा असली रूप मे सामने आया और नाजी जर्मनी का कदम बेरोक आगे बढने लगा तो ब्रिटिश गवरमेट मजबूर होगई। उसे लडाई के मैदान मे उतरना पडा। यदि अब भी न उतरती तो जर्मनी की ताकत ब्रिटिश साम्राज्य के लिये असह्य हो जाती। अब छोटी कौमो की आजादी के पुराने नारे की जगह जनतंत्र, स्वाधीनता और विश्वव्यापी शान्ति के नए नारे बुलन्द किये गए और तमाम दुनिया इन आवाजो से गँजने लगी। इन्ही नारो की प्रतिध्वनि मे इगलिस्तान और फ्रांस ने

तीन सितम्बर को लडाई का एलान किया। और ससार की उन सब बेचैन आत्माओं ने जो यूरोप की नई प्रतिक्रियावादी ताकतों के पाशविक बलप्रयोग और विश्वव्यापी अशान्ति के दुख से हैरान और परेशान हो रही थी इन लुभावने नारों पर कान लगा दिये।

## काँग्रेस की माँग

तीन सितम्बर को लडाई का एलान हुआ। सात सितम्बर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की वर्धा में बैठक हुई। वर्किंग कमेटी ने सारी परिस्थिति पर गौर किया। काँग्रेस के वे सब एलान उसके सामने थे जो सन् ३६ से उस समय तक लगातार निकलते रहे थे। लडाई के एलान के बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो चलन अख्तियार किया था वह भी वर्किंग कमेटी की निगाहों से ओझल नहीं था। निस्सन्देह यदि वर्किंग कमेटी कोई ऐसा फैसला कर देती जो उस परिस्थिति में स्वाभाविक और न्यायानुकूल था तो कमेटी को बुरा नहीं कहा जा सकता था। किन्तु कमेटी ने पूरी अहतियात के साथ अपने दिल और दिमाग की निगरानी की। उसने समय के उन सब विचारों और उमंगों की ओर से जो तेजी के साथ आगे बढ़ने का आग्रह कर रही थी अपने कानों को बंद कर लिया। उसने मामले के सब पहलुओं पर पूरे धीरज के साथ मनन करके वह कदम उठाया जिसके बारे में आज हिन्दुस्तान सर उठाकर दुनिया से कह सकता है कि उस परिस्थिति में उसके लिये वही एक ठीक कदम था। उसने अपने सारे फैसले मुलतवी कर दिये। उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने यह माँग पेश की कि पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना वह फैसला दुनिया के सामने रख दे जिस पर न केवल हिन्दुस्तान का बल्कि उन सब लोगों का फैसला निर्भर है जिनका उद्देश्य सारी दुनिया की शान्ति और न्याय है। यदि हिन्दुस्तान को इस लडाई में शरीक होने का निमंत्रण दिया गया है तो हिन्दुस्तान को मालूम होना चाहिये कि यह लडाई क्यों लड़ी जा रही है? उसका उद्देश्य क्या है? यदि मानव संहार के इस सबसे बड़े नाटक का भी वही

नतीजा निकलनेवाला नहीं है जो पिछली लड़ाई का निकल चुका है और यह लड़ाई यदि सचमुच इसीलिये लड़ी जा रही है कि आजादी, जनतंत्र और शान्ति की एक नई व्यवस्था सत्कार के सामने पेश की जावे तो फिर निस्संदेह हिन्दुस्तान को यह माँग पेश करने का अधिकार है कि उसे बताया जावे कि खुद उसके भाग्य पर लड़ाई के इन उद्देश्यों का क्या असर पड़ेगा।

वर्किंग कमेटी ने इस माँग को एक विस्तृत एलान की सूरत में तैयार किया जो १४ सितम्बर को शायी हो गया। यदि मैं आशा करूँ कि यह एलान हिन्दुस्तान के नए राजनैतिक इतिहास में अपने लिये उचित स्थान चाहेगा तो मुझे विश्वास है कि मैं भावी इतिहास लेखक से कोई अनुचित आशा नहीं कर रहा हूँ। यह एलान सच्चाई और विवेक का एक सादा किन्तु अकाट्य उल्लेख है, जिसे केवल एक सशस्त्र ताकत का घमण्ड ही बेपरवाही के साथ ठुकरा सकता है। इस एलान की आवाज यद्यपि हिन्दुस्तान में बुलन्द हुई फिर भी वास्तव में वह केवल हिन्दुस्तान ही की आवाज नहीं थी। वह विश्वव्यापी मानवता की घायल उम्मीदों की चीख थी। २५ साल पहले दुनिया बरबादी और विनाश के एक सबसे बड़े काण्ड में जिसे इतिहास की निगाहे अभी तक देख सकती है भोक दी गई थी और केवल इस लिये भोक दी गई थी ताकि उसके बाद दुनिया उससे भी अधिक भयकर हत्या काण्ड की तैयारियों में लग जाय। निर्बल कौमो की आजादी, शान्ति की जिम्मेदारी और आत्म निर्णय (सेल्फ डिटरमिनेशन) हथियारबन्दी की रोक थाम, अन्तर्राष्ट्रीय पचायत की स्थापना, और इसी तरह के और सब ऊँचे और लुभावने उद्देश्यों की पुकार से कौमो के कानों पर जादू किया गया। उनके दिलों में उम्मीदें जगाई गईं। किन्तु अन्त में क्या नतीजा निकला? हर पुकार धोखा निकली। हर उम्मीद भूठी साबित हुई। हर चमत्कार स्वप्न बनकर रह गया। आज फिर कौमो को भेड़ों की तरह खून और आग की भयकरता में ढकेला जा रहा है। सत्य और विवेक के अस्तित्व तक से हमें इतना अधिक निराश हो जाना चाहिये कि हम मौत और बरबादी के तूफान में कूदने से पहले यह भी नहीं पूछ सकते कि यह सब क्यों हो रहा है? और स्वयं हमारे भाग्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

## गवरमेंट का जवाब और काँग्रेस का पहला कदम

काँग्रेस की इस माँग के जवाब में ब्रिटिश गवरमेंट की ओर से बयानों का एक सिलसिला शुरू हो गया जो कभी हिन्दुस्तान और कभी इंगलिस्तान से निकलते रहे। इस सिलसिले की पहली कड़ी हिन्दुस्तान के वाइसराय का वह एलान था जो १७ अक्टूबर को दिल्ली से शायया हुआ। यह एलान शायद भारतीय सरकार के सरकारी साहित्य की उलभी हुई शैली और थका देनेवाले विस्तार का सबसे अच्छा और मुकम्मिल नमूना है। इसके सफो के सफे पढ जाने के बाद मुश्किल से इस बात का पता चलता है कि लडाई के उद्देश्य के लिये इंगलिस्तान के प्रधान मंत्री की एक वक्तृता पढनी चाहिये जिसमें केवल यूरोप की शान्ति और यूरोप के अन्तर्राष्ट्रीय सबध के सुधार का जिक्र है। “जनतत्र” (डेमोक्रेसी) और “कौमो की आजादी” के शब्द इसमें ढूँढने से भी नहीं मिल सकते। जहाँ तक भारत का सबध है इस वक्तृता से हमें मालूम होता है कि ब्रिटिश गवरमेंट ने सन् १९१६ के कानून की भूमिका में अपनी जिस पालिसी का एलान किया था और जिसका नतीजा सन् ३५ के कानून के रूप में निकला, आज भी वही पालिसी उसके सामने है। उससे ज्यादा ब्रिटिश गवरमेंट और कुछ नहीं कह सकती।

१७ अक्टूबर, सन् १९३६ को वाइसराय का एलान शायया हुआ। २२ अक्टूबर को उस पर विचार करने के लिये वर्धा में वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। बिना किसी बहस के वर्किंग कमेटी इस नतीजे पर पहुँची कि यह जवाब उसे किसी तरह सन्तुष्ट नहीं कर सकता और अब उसे अपना वह फैसला बिना विलम्ब कर देना चाहिये जो उसने इस वक्त तक मुलतवी कर रक्खा था। जो फैसला कमेटी ने किया वह कमेटी के प्रस्ताव के शब्दों में यह है—

“जो परिस्थिति पैदा हो गई है उसमें कमेटी के लिये मुमकिन नहीं है कि वह ब्रिटिश गवरमेंट की साम्राज्य प्रेमी पालिसी को स्वीकार कर ले। यह कमेटी काँग्रेसी वज्रारतो को आदेश देती है कि जो मार्ग अब हमारे सामने खुल गया है उसकी ओर बढ़ने के लिए पहला कदम हमें

यह उठाना चाहिये कि काँग्रेसी वजीर अपने अपने सूबो की गवरमेटो से इस्तीफा दे दे।”

इसके अनुसार आठ सूबो मे वजारतो ने इस्तीफे दे दिये।

यह इस सिलसिले का प्रारम्भ था। अब देखना चाहिये कि यह सिलसिला कहाँ तक पहुँचता है। हिन्दुस्तान के वाइसराय की एक विज्ञप्ति, जो ५ फरवरी को दिल्ली से शायी हुई और जिसमे उस बातचीत का सार बयान किया गया है जो महात्मा गान्धी से वाइसराय की हुई थी और फिर स्वय महात्मा गान्धी का बयान, जो उन्होने ६ फरवरी को शायी किया, सिलसिले की आखिरी कड़ियाँ समझी जा सकती है। वाइसराय की विज्ञप्ति का सार हम सबको मालूम है। ब्रिटिश गवरमेट की यह पूरी इच्छा है कि भारतवर्ष जल्दी से जल्दी यानी परिस्थिति के लिहाज से जितनी जल्दी मुमकिन हो सके ब्रिटिश उपनिवेशो का हतबा हासिल कर ले और बीच के जमाने की मुद्दत जहाँ तक मुमकिन हो कम की जाय। लेकिन अगरेज सरकार यह मानने के लिये तैयार नहीं है कि बिना बाहर के हस्तक्षेप के हिन्दुस्तान को अपना शासन विधान, अपना कान्स्टीट्यूशन, स्वय अपने चुने हुए प्रतिनिधियो द्वारा, बनाने का अधिकार है, और हिन्दुस्तान अपने भाग्य का स्वय फैसला कर सकता है। दूसरे शब्दो मे ब्रिटिश गवरमेट हिन्दुस्तान के लिये आत्म निर्णय यानी सेल्फ डिटरमिनेशन का हक स्वीकार नहीं कर सकती।

वास्तविकता के एक स्पर्शमात्र से दिखावे का सारा जादू किस तरह तितर बितर हो गया ! पिछले चार वर्ष से जनतत्र और आजादी की रक्षा के नारो से दुनिया गूँज रही थी। इंगलिस्तान और फ्रांस की सरकारो के बडे से बडे जिम्मेदार लोग इस विषय मे जो कुछ कहते रहे है वह अभी इतना ताजा है कि उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं। किन्तु ज्योही भारतवर्ष ने यह सवाल उठाया, सच्चाई को बेपरदा होकर सामने आ जाना पडा। अब हमे बताया जाता है कि कौमो की आजादी की रक्षा निस्सदेह इस लडाई का उद्देश्य है, किन्तु उसका क्षेत्र यूरोप की भौगोलिक सीमाओ से बाहर नहीं जा सकता। एशिया और अफरीका के बाशिन्दो

को यह दुस्साहस नहीं करना चाहिये कि वे भी उम्मीद की निगाहे उठाएँ। मिस्टर चेम्बरलेन ने २४ फरवरी को बर्मिंघम में वक्तृता देते हुए यह बात और भी ज्यादा साफ कर दी है, यद्यपि उनकी वक्तृता से पहले भी हमें इस विषय में कोई सन्देह नहीं था। उन्होंने हमारे लिये ब्रिटिश गवर्नमेंट के साफ साफ व्यवहार के साथ साथ साफ साफ शब्द भी मोहय्या कर दिये हैं। लड़ाई के ब्रिटिश उद्देश्यों का एलान करते हुए वह दुनिया को विश्वास दिलाते हैं कि—

“हमारी लड़ाई इसलिये है कि हम इस बात की जमानत ले लें कि यूरोप की छोटी कौमो की आजादी भविष्य में अनुचित अत्याचारों की धमकियों से बिलकुल सुरक्षित रहेगी।”

ब्रिटिश गवर्नमेंट का यह जवाब यद्यपि इस समय एक अंगरेज की जवान से निकला है तो भी वास्तव में वह कोई खास अंगरेजी चीज नहीं है। यह जवाब समस्त यूरोपियन महाद्वीप के उन आम विचारों को ठीक ठीक प्रकट कर रहा है जो लगभग दो सौ वर्ष से दुनिया के सामने रहे हैं। अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी में मनुष्य की व्यक्तिगत और सामूहिक आजादी के जितने भी सिद्धांत स्वीकार किये गए उन पर अमल कराने का हक केवल यूरोप की कौमो को प्राप्त है और यूरोप की कौमो में भी यह अधिकार ईसाई यूरोप के सकीर्ण क्षेत्र से कभी बाहर न जा सका। आज बीसवीं सदी के मध्य में ससार इतना बदल चुका है कि पिछली सदी के विचारों और व्यवहारों के नक्शे इतिहास की पुरानी कहानियों की तरह सामने आते हैं और उन निशानों की तरह दिखाई देते हैं जिन्हें हम बहुत दूर पीछे छोड़ आए। किन्तु हमें स्वीकार करना चाहिये कि कम से कम एक निशान अब भी पीछे नहीं छुट सका। अभी तक वह हमारे साथ साथ चल रहा है। वह है मानव अधिकारों के लिये यूरोप के अन्दर भेदभाव का निशान।

भारत के राजनैतिक और राष्ट्रीय अधिकारों के प्रश्न ने भी हमारे सामने ठीक इसी तरह का नक्शा पेश कर दिया है। हमने जब लड़ाई के एलान के बाद यह सवाल उठाया कि लड़ाई का उद्देश्य क्या है और हिन्दुस्तान की किस्मत

पर उसका क्या असर पडनेवाला है तो हम इस बात से बेखबर नहीं थे कि सन् १७ और सन् १९ में ब्रिटिश गवर्नमेंट की पालिसी क्या थी। हम जानना चाहते थे कि सन् ३९ के इस सप्ताह में, जो इस तेजी के साथ दौड़ रहा है और बदल रहा है कि दिनों के अन्दर सदियों की चाल पूरी कर रहा है, हिन्दुस्तान को ब्रिटिश गवर्नमेंट किस निगाह से देखना चाहती है। उसका दृष्टिकोण अब भी बदला है या नहीं। हमें साफ जवाब मिल गया कि नहीं बदला। ब्रिटिश गवर्नमेंट अब भी अपनी साम्राज्य पिपासा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। हमें विश्वास दिलाया जाता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात की बहुत अधिक इच्छुक है कि भारतवर्ष जहाँ तक संभव हो जल्दी उपनिवेशों का रूतबा यानी डोमिनियन स्टेटस प्राप्त कर ले। हमें मालूम था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी यह इच्छा प्रकट कर चुकी है। अब हमें यह बात मालूम हो गई कि वह इसकी “बहुत ज्यादा इच्छुक है।” किन्तु प्रश्न ब्रिटिश गवर्नमेंट की इच्छा और उस इच्छा के कम, ज्यादा या बहुत ज्यादा होने का नहीं है। साफ और सीधा प्रश्न भारतवर्ष के अधिकार का है। भारतवर्ष को यह अधिकार हासिल है या नहीं कि वह अपने भाग्य का स्वयं फैसला कर ले? इसी एक प्रश्न के उत्तर पर इस समय के सारे प्रश्नों का उत्तर निर्भर है। भारतवर्ष के लिये यह प्रश्न नींव की असली ईंट है। वह इसे हिलाने नहीं देगा। यदि यह हिल जाय तो भारतवर्ष के कौमी अस्तित्व की सारी इमारत हिल जायगी।

जहाँ तक लड़ाई का संबंध है हमारे लिये परिस्थिति बिल्कुल साफ हो गई। हम ब्रिटिश साम्राज्य का चेहरा इस लड़ाई के अन्दर भी उसी तरह साफ साफ देख रहे हैं जिस तरह हमने पिछली लड़ाई में देखा था और हम इस बात के लिये तय्यार नहीं हैं कि उसकी जीत के लिये लड़ाई में हिस्सा ले। हमारा अभियोग बिल्कुल स्पष्ट है। हम अपनी परतन्त्रता की आयु बढ़ाने के लिये ब्रिटिश साम्राज्य को अधिक मजबूत और अधिक विजयी देखना नहीं चाहते। हम ऐसा करने से साफ साफ इनकार करते हैं। हमारा मार्ग निस्संदेह इसके ठीक विपरीत दिशा में है।



## हम आज कहाँ खड़े हैं ?

अब हम फिर उस जगह वापस आते हैं जहाँ से हम चले थे। हमने इस प्रश्न पर विचार करना चाहा था कि तीन सितम्बर वाले जग के एलान के बाद जो कदम हम उठा चुके हैं उसका रुख आगे को किस ओर है और आज हम कहाँ खड़े हैं। मुझे विश्वास है कि इन दोनों प्रश्नों का उत्तर इस समय हममें से हर एक के दिल में इस तरह साफ साफ उभर आया है कि अब उसे केवल जबान तक लाना बाकी है। यह जरूरी नहीं है कि आपके होठ हिलें। मैं आपके दिलों को हिलता हुआ देख रहा हूँ। अनस्थायी सहयोग (को-आपरेशन) का जो कदम सन् १९३७ में हमने उठाया था जग के एलान के बाद हमने वह वापस ले लिया। इसलिये कुदरती तौर पर हमारा रुख अब असहयोग (नान-को-आपरेशन) की तरफ है। हम आज उसी जगह खड़े हैं जहाँ हमें फैसला करना है कि उस रुख की ओर आगे बढ़ें या पीछे हटें। जब कदम उठा दिया जाय तो वह रुक नहीं सकता। अगर रुकेगा तो पीछे हटेगा। हम पीछे हटने से इनकार करते हैं। हम केवल यही कर सकते हैं कि आगे बढ़ें। जब मैं यह एलान करता हूँ कि हम आगे बढ़ेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप सबके दिलों की आवाज मेरी आवाज के साथ मिली हुई है।

## आपसी समझौता

इस सबध में कुदरती तौर पर एक सवाल सामने आ जाता है। इतिहास हमें बताता है कि कौमो के संघर्ष में या उनकी खीचातानी में एक ताकत तभी अपना कब्जा छोड़ सकती है जब कि दूसरी ताकत उसे ऐसा करने पर विवश कर दे। विवेक और सदाचार के ऊँचे सिद्धांत व्यक्तियों का व्यवहार बदलते रहेंगे किन्तु अधिकार प्राप्त या प्रभुत्व प्राप्त कौमो की स्वार्थपरता पर वे कभी असर नहीं डाल सके। आज भी बीसवीं सदी के मध्य में हम देख रहे हैं कि यूरोप की नई प्रति-क्रियावादी (रिएक्शनरी) कौमो ने किस तरह मनुष्य के व्यक्तिगत और

कौमी अधिकारो के तमाम सिद्धांत उलट पुलट कर दिये और न्याय और विवेक के स्थान पर केवल पाशविक बल की दलील ही फैसलो के लिये एक मात्र दलील रह गई है। किन्तु इसके साथ ही जब कि एक ओर चित्र का यह नैराश्यजनक पहलू हमारे सामने आ रहा है दूसरी ओर एक आशाजनक पहलू भी हमारे सामने है। हम देखते हैं कि ससार के असंख्य जन समूहो की एक नई विश्व-व्यापी जाग्रति बिना रग रूप का भेद किये बड़ी तेजी के साथ हर तरफ बढ़ रही है। यह जाग्रति दुनिया की पुरानी व्यवस्था की बुराइयो और नामुरादियो से ऊब गई है और विवेक, न्याय और शान्ति की नीव पर एक नई व्यवस्था कायम करने के लिये बेचैन है। दुनिया की यह नई जाग्रति जिसने पिछली लड़ाई के बाद से मानव आत्माओ की गहराइयो मे करवट बदलना शुरू कर दिया था अब दिन प्रतिदिन दिमागो और जबानो की सतह पर उभर रही है और इस तरह उभर रही है कि शायद इतिहास मे कभी नही उभरी। ऐसी अवस्था मे क्या यह बात इमकान से बाहर थी कि इतिहास के पुराने फैसलो के विरुद्ध एक नया फैसला इतिहास मे बढाया जाता? क्या यह सभव नही था कि दुनिया की दो बड़ी क्रौमे जिन्हे कालचक्र ने शासक और शासित के सूत्र मे बाँध दिया था, भविष्य के लिये विवेक, न्याय और शान्ति के सूत्रो द्वारा एक नया सबध एक दूसरे के साथ जोडने के लिये तैयार हो जाती? यदि ऐसा हो सकता तो विश्वव्यापी शान्ति की ओर से निराशाएँ आशाओ के एक नए जीवन मे बदल जाती। विवेक, और न्याय के युग का नया प्रभात ससार को एक नए सूरज का सदेश देने लगता। यदि आज अगरेज कौम सर उठाकर दुनिया से कह सकती कि उसने इतिहास मे एक नई मिसाल कायम करने का सकल्प कर लिया है तो मानवता की यह कैसी अपूर्व और व्यापक विजय होती।

निस्सन्देह यह असम्भव नही है, मगर दुनिया की तमाम दुशवारियो से कही दुशवार है।

जमाने की चारो ओर फैली हुई अधियारियो मे मानव प्रकृति का यही एक रोशन पहलू है जो महात्मा गान्धी की महान् आत्मा को कभी थकने नही देता।

वह आपसी समझौते के दरवाजे में, जो उनके सामने खोला जाता है, अपनी स्थिति को जरा भी निर्बल अनुभव किये बिना, निस्सकोच कदम रखने के लिये तैयार हो जाते हैं।

ब्रिटिश मंत्रिमंडल के अनेक मेबरों ने लडाई के बाद ससार को यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया है कि ब्रिटिश साम्राज्य का पिछला युग समाप्त हो चुका और आज ब्रिटिश कौम केवल शान्ति और न्याय के उद्देश्यों को अपने सामने रखे हुए है। हिन्दुस्तान से बढ़कर और कौन सा देश हो सकता है जो आज किसी ऐसे एलान का स्वागत करता? किन्तु असलीयत यह है कि इन एलानों के बावजूद ब्रिटिश साम्राज्य आज भी उसी तरह शान्ति और न्याय का मार्ग रोके खड़ा है जिस तरह लडाई से पहले खड़ा था। हिन्दुस्तान की माँग इस तरह के समस्त दावों के लिये एक सच्ची कसौटी थी। दावे कसौटी पर कसे गए और अपने सच्चे होने का हमें विश्वास न दिला सके।

## हिन्दुस्तान का राजनैतिक भविष्य और अल्प संख्यक जातियाँ

जहाँ तक इस वक्त के असली सवाल का सबध है मुख्य बात केवल वही है जो मैंने थोड़े से में आपके सामने रख दी है। पिछली सितम्बर में जग के एलान के बाद जब काँग्रेस ने अपनी माँग तय की उस समय हममें से किसी के वहम और गुमान में भी यह बात नहीं थी कि इस स्पष्ट और सीधी सादी माँग के जवाब में, जो हिन्दुस्तान के नाम पर की गई है और जिससे देश के किसी फिरके और किसी गिरोह को भी मतभेद नहीं हो सकता, साम्प्रदायिक मसले का सवाल उठाया जा सकेगा। निस्सदेह मुल्क में ऐसी जमाअते मौजूद हैं जो राजनैतिक मैदान में वहाँ तक नहीं जा सकती जहाँ तक काँग्रेस पहुँच चुकी है और जो सत्याग्रह (डायरेक्ट ऐक्शन) के उस तरीके से जिसे, राजनैतिक हिन्दुस्तान ने बहुमत से स्वीकार कर लिया है, सहमत नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुल्क की आजादी

को और उसके जन्मसिद्ध अधिकार को स्वीकार करने का सवाल है, इस देश में मानसिक जागृति अब इतनी बढ़ चुकी है कि मुल्क का कोई गिरोह भी हमारे उद्देश का विरोध करने का साहस नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वे जमाअते भी जो अपनी श्रेणी विशेष (क्लास) के हक और हितों की रक्षा के लिये इस बात पर मजबूर है कि आजकल की राजनैतिक परिस्थिति में किसी तरह की तब्दीली न चाहे वे भी जमाने की हवा से बेबस हैं और उन्हें भी हिन्दुस्तान के राजनैतिक लक्ष्य को स्वीकार करना पड़ता है। किन्तु समय की कसौटी ने जब कि परिस्थिति के दूसरे पहलुओं पर से परदा उठा दिया है वहाँ इस खास पहलू को भी हमारी नज़रों के सामने साफ जाहिर कर दिया है।

हिन्दुस्तान और इंगलिस्तान दोनों में, एक दूसरे के बाद, इस तरह की कोशिशों की गई कि हमारे इस समय के राजनैतिक सवाल को साम्प्रदायिक मसलें के साथ मिलाकर उस सवाल के असली रूप को सदेह में डाल दिया जावे। बार बार दुनिया को यकीन दिलाने की कोशिश की गई कि भारत के राजनैतिक प्रश्न के हल करने के मार्ग में अल्प सख्यक जातियों का मसला रुकावट है।

यदि पिछले डेढ़ सौ वर्ष के अन्दर हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्यशाही का यह तर्जें अमल रहा है कि मुल्क के बाशिन्दों के आपसी तफरकों को उभारकर उन्हें नई नई पक्तियों में बाँटा जावे और फिर उन पक्तियों को अपनी हुकूमत की मजबूती के लिये काम में लाया जाय, तो हमारे शासकों का ऐसा करना हमारी राजनैतिक पराधीनता का एक कुदरती नतीजा था और हमें इससे कोई फायदा नहीं हो सकता कि इसकी शिकायत करके अब हम अपने दिलों में कड़वा-हट पैदा करें। निस्सदेह कोई विदेशी हुकूमत किसी मुल्क के अन्दर एकता की इच्छुक नहीं हो सकती। मुल्क के अंदर की फूट ही विदेशी हुकूमत की मौजूदगी के लिये सबसे बड़ी जमानत है। लेकिन इस जमाने में जब कि दुनिया को यह विश्वास दिलाने की कोशिशें की जा रही हैं कि हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास का पिछला दौर समाप्त हो चुका, निस्सदेह हमारा ब्रिटिश राज-

नीतिज्ञो से यह आशा करना बहुत अधिक अनुचित नहीं था कि कम से कम इस एक मामले में वह अपने व्यवहार को अपनी अब तक की मानसिक प्रवृत्तियों से अलग करने की कोशिश करेंगे। किन्तु पिछले पाँच महीने की घटनाओं ने साबित कर दिया कि अभी इस तरह की आशा करने का समय नहीं आया और जिस दौर के विषय में दुनिया को विश्वास दिलाया जा रहा है कि वह समाप्त हो चुका वह वास्तव में अभी जारी है।

जो भी हो, हमारी समस्याएँ चाहे किसी तरह भी पैदा हुई हो, हम स्वीकार करते हैं कि दुनिया के और सब मुल्कों की तरह हिन्दुस्तान के सामने भी अपने अन्दर की समस्याएँ हैं और इन समस्याओं में एक खास समस्या साम्प्रदायिक समस्या यानी फिरकेवाराना मसला है। हम ब्रिटिश हुकूमत से यह आशा नहीं रखते और न हमें आशा रखनी चाहिये कि वह इस मसले के अस्तित्व को नजर अन्दाज करेगी। यह मसला है, और अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारा फर्ज है कि इसके अस्तित्व को मानकर कदम उठाएँ। हम स्वीकार करते हैं कि हर कदम जो हम इस समस्या की ओर से बेपरवाह होकर उठाएँगे निस्संदेह गलत कदम होगा। लेकिन फिरकेवाराना मसले के अस्तित्व को स्वीकार करना एक अलग बात है। इसका यह मतलब नहीं होना चाहिये कि इस मसले को हिन्दुस्तान के कौमी हक, यानी हमारे राष्ट्रीय अधिकार, के खिलाफ एक शस्त्र की तरह काम में लाया जावे। ब्रिटिश साम्राज्यशाही इस मसले से हमेशा यही गलत काम लेती रही है। यदि अब वह अपने भारतीय इतिहास का पिछला दौर खत्म करना चाहती है तो उसे जानना चाहिये कि सबसे पहली बात जिसमें हम कुदरती तौर पर इस तब्दीली की झलक देखना चाहते हैं वह इसी मसले में उसका खड्या है।

काँग्रेस ने साम्प्रदायिक समस्या के बारे में अपने लिये जो जगह बनाई है वह क्या है? काँग्रेस का पहले दिन से दावा रहा है कि वह सारे हिन्दुस्तान को समष्टि रूप से अपने सामने रखती है और जो कदम भी उठाना चाहती है पूरी हिन्दुस्तानी कौम के नाम पर और उसी के लिये उठाना चाहती है। हम

स्वीकार करते हैं कि काँग्रेस ने यह दावा करके दुनिया को इस बात का अधिकार दे दिया है कि वह जितनी बेरहमी के साथ चाहे काँग्रेस के दोष निकाले और इस बारे में काँग्रेस के तर्जें अमल को परखे और काँग्रेस का कर्तव्य है कि इस तरह की परख में अपने की कामयाब साबित करे। मैं चाहता हूँ कि इस सवाल का यह पहलू सामने रखकर हम आज काँग्रेस के तर्जें अमल पर नए सिरे से निगाह डाले।

मैं अभी आपसे कह चुका हूँ कि इस बारे में कुदरती तौर पर तीन बातें सामने आ सकती हैं,—साम्प्रदायिक समस्या का अस्तित्व, उसका महत्त्व और उसके फैसले का ढंग या तरीका।

काँग्रेस का पूरा इतिहास इस बात की गवाही देता है कि उसने इस मसले के अस्तित्व को हमेशा स्वीकार किया है। उसने इसके महत्त्व को घटाने की भी कभी कोशिश नहीं की। इसके फैसले के लिये काँग्रेस ने वही तरीका इस्तेमाल किया जिससे ज्यादा सन्तोषजनक तरीका इस बारे में कोई नहीं बतलाया जा सकता। और यदि बतलाया जा सकता है तो उसे अपनाने में काँग्रेस के दोनों हाथ हमेशा बढे रहे हैं और आज भी बढे हुए हैं।

इस मसले के महत्त्व को समझने का हमारे ऊपर इससे ज्यादा क्या असर हो सकता था कि उसके हल को हम हिन्दुस्तान के कौमी मकसद, उसके राष्ट्रीय लक्ष्य की सफलता के लिये सबसे पहली शर्त स्वीकार करे। मैं इस बात को एक ऐसी सच्चाई के तौर पर पेश कर रहा हूँ जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि काँग्रेस का हमेशा यही अकीदा, यही विश्वास रहा है।

काँग्रेस ने इस बारे में हमेशा दो बुनियादी उसूल अपने सामने रखे हैं और जब कभी कोई कदम उठाया तो इन दोनों उसूलों को साफ साफ और पूरी तरह मान कर उठाया—

(१) पहला यह कि हिन्दुस्तान का जो भी कान्स्टीट्यूशन, शासन विधान या दस्तूरे असासी आइन्दा बनाया जावे उसमें अल्पसंख्यक जातियों के हक़ों और हितों की पूरी जमानत होनी चाहिये।

(२) दूसरा यह कि अल्पसंख्यक जातियों के हकों और हितों के लिये किन किन संरक्षणों यानी 'सेफगार्ड्स' की ज़रूरत है, इस बात का फैसला स्वयं अल्पसंख्यक जातियाँ ही करेंगी, बहुसंख्यक जातियाँ नहीं करेंगी। इसलिये संरक्षणों का फैसला अल्पसंख्यक जातियों की रजामन्दी से होना चाहिये।

अल्पसंख्यक जातियों का प्रश्न केवल हिन्दुस्तान ही की कोई विशेषता नहीं है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी यह प्रश्न रह चुका है। मैं आज इस जगह से दुनिया को मुखातिब करने का साहस करता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इससे भी ज्यादा कोई साफ और बेलाग तर्जें अमल इस बारे में अख्तियार किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो वह क्या है? क्या इस तर्जें अमल में कोई भी ऐसी कमी रह गई है जिसकी बिना पर कांग्रेस को उसका कर्तव्य याद दिलाने की ज़रूरत हो? कांग्रेस अपने कर्तव्य-पालन की कमियों पर गौर करने के लिये सदा तैयार रही है और आज भी तैयार है।

मैं १६ वर्ष से कांग्रेस में हूँ। इस तमाम अरसे में कांग्रेस का कोई महत्त्वपूर्ण फैसला ऐसा नहीं हुआ जिसके तरतीब देने में मुझे शरीक होने की इज्जत हासिल न रही हो। मैं कह सकता हूँ कि इस १६ वर्ष में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब कांग्रेस ने इस मसले का फैसला इसके सिवा और किसी भी तरीके से करने का खयाल तक किया हो। यह न केवल कांग्रेस का एलान ही था बल्कि उसका पक्का और निश्चित मार्ग था। पिछले १५ साल के अन्दर बार बार इस मार्ग में कड़ी से कड़ी परीक्षाएँ उसके सामने आईं। किन्तु यह चट्टान अपनी जगह से कभी न हिल सकी।

आज भी कांग्रेस ने कांस्टिट्यूण्ट असेम्बली के सिलसिले में (यानी सारे देश की उस बड़ी पचायत के सिलसिले में जिसके लिये सदस्य चुनने का हर बालिग हिन्दुस्तानी को हक होगा) इस मसले को जिस तरह हल किया है वह इस बात के लिये काफी है कि ऊपर के दोनों उसूलों को उनकी ज्यादा से ज्यादा साफ शकल में देख लिया जाय। मानी हुई अल्पसंख्यक जातियों को यह हक

हासिल है कि वह यदि चाहे तो सिर्फ अपनी वोटो से अपने नुमाइन्दो को चुन कर भेजे। उनके नुमाइन्दो के कन्धो पर अपने फिरके के वोटों के सिवाय और किसी की वोटो का बोझ न होगा। जहाँ तक अल्पसंख्यक जातियो के हको या हितो का सवाल है उनका फैसला असेम्बली के बहुमत से नहीं होगा बल्कि खुद अल्पसंख्यक जातियो की रजामन्दी से होगा, और अगर किसी मसले मे इत्तफाक न हो सकेगा तो किसी ऐसी निष्पक्ष पचायत के जरिये फैसला कराया जा सकता है जिसे अल्पसंख्यक जातियो ने भी स्वीकार कर लिया हो।

आखिरी बात यानी निष्पक्ष पचायत की तजवीज केवल एक अहतियाती पेशबन्दी है। नहीं तो इस बात की बहुत कम सभावना है कि इसकी जरूरत तक हो। यदि इसकी जगह कोई दूसरी मुनासिब तजवीज सुभाई जा सके तो उसे अख्तियार किया जा सकता है।

यदि कांग्रेस ने अपने तर्जें अमल के लिये यह असूल सामने रख लिये है और उन असूलो पर कायम रहने की कांग्रेस पूरी कोशिश कर चुकी है और कर रही है तो फिर इसके बाद कौन सी चीज रह गई है जो ब्रिटिश राजनीतिज्ञो को इस बात पर मजबूर करती है कि वे हमे बार बार अल्पसंख्यक जातियो के हको के मसले की याद दिलाएँ और दुनिया को इस भ्रान्ति मे डाले कि हिन्दुस्तान के मसले के रास्ते मे अल्प संख्यक जातियो का मसला एक रुकावट पेश कर रहा है? यदि वास्तव मे इसी मसले की वजह से रुकावट पेश आ रही है तो क्यों ब्रिटिश हुकूमत हिन्दुस्तान के राजनैतिक भाग्य का साफ साफ एलान करके हमे इसका मौका नहीं दे देती कि हम सब मिलकर बैठे और आपसी रजामन्दी से इस मसले का हमेशा के लिये फैसला कर ले?

हममे तफरके पैदा किये गए और हमे इलजाम दिया जाता है कि हममे तफरके है। हमे तफरको के मिटाने का मौका नहीं दिया जाता और हमसे कहा जाता है कि हमे तफरके मिटाने चाहिये।

यह परिस्थिति है जो हमारे चारो ओर पैदा कर दी गई है। ये बन्धन है जो हमे हर तरफ से जकडे हुए है। किन्तु इस तरह की कोई भी दिक्कत या



दुशवारी हमें इससे नहीं रोक सकती कि हम कोशिश और हिम्मत का क़दम आगे बढ़ाएँ। हमारा सारा मार्ग ही दुशवारियों का मार्ग है और हमें हर दुशवारी पर विजय प्राप्त करनी है।

## हिन्दुस्तान के मुसलमान और हिन्दुस्तान का भविष्य

यह हिन्दुस्तान की अल्पसंख्यक जातियों का मसला था। लेकिन क्या हिन्दुस्तान में मुसलमानों की हैसियत एक ऐसी अल्प संख्यक जाति की हैसियत है जो अपने भविष्य को भय और आशंका की नज़र से देख सकती है और वे तमाम शक़ाएँ अपने सामने ला सकती हैं जो कुदरती तौर पर एक अल्पसंख्यक जाति के मस्तिष्क को बेचैन कर देती हैं ?

मुझे नहीं मालूम आप लोगों में कितने आदमी ऐसे हैं जिनकी नज़र से मेरे वे लेख गुज़र चुके हैं जो आज से २८ साल पहले मैं “अल हिलाल” के पृष्ठों पर लिखता रहा हूँ। यदि कुछ लोग भी ऐसे मौजूद हैं तो मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि वे अपनी याद ताज़ा कर लें। मैंने उस ज़माने में भी अपना यह विश्वास प्रकट किया था और उसी तरह आज भी करना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान की राजनैतिक समस्याओं में कोई भी बात इतनी ज़्यादा ग़लत नहीं है जितनी यह कि हिन्दुस्तान के मुसलमानों की हैसियत राजनैतिक दृष्टि से एक अल्पसंख्यक जाति की हैसियत है, और इसलिये उन्हें आज़ाद और जम्हूरी यानी जनतन्त्रात्मक हिन्दुस्तान में अपने हक़ों और हितों की ओर से सशक़ रहने की ज़रूरत है। इस एक बुनियादी ग़लती ने बेशुमार ग़लत फहमियों के पैदा होने का दरवाज़ा खोल दिया। ग़लत बुनियादों पर ग़लत दीवारें चुनी जाने लगीं। नतीज़ा यह हुआ कि एक तरफ़ तो खुद मुसलमानों को अपनी असली हैसियत के बारे में सदेह होने लगा और दूसरी तरफ़ दुनिया एक ऐसी ग़लत फहमी में पड़ गई जिसके बाद वह हिन्दुस्तान और उसकी वर्तमान परिस्थिति को ठीक ठीक नहीं देख सकती।

यदि समय होता तो मैं आपको विस्तार के साथ बताता कि इस मामले की

यह गलत और बनावटी शकल पिछले साठ बरस के अन्दर क्योकर ढाली गई और किन हाथो ने उसे ढाला ! वास्तव मे यह भी उसी फूट डालने वाली पालिसी की उपज है जिसका नक्शा इण्डियन नैशनल कांग्रेस की तहरीक के शुरू होने के बाद हिन्दुस्तान के सरकारी दिमागो मे बनना शुरू हो गया था और जिसका उद्देश यह था कि मुसलमानो को इस नई राजनैतिक जागृति के विरुद्ध इस्तेमाल करने के लिये तैयार किया जाय । इस नक्शे मे दो बातें खास तौर पर उभारी गई थी । एक यह कि हिन्दुस्तान मे दो अलग अलग कौमे आबाद है । एक हिन्दू कौम है और एक मुसलमान कौम है । इसलिये हिन्दुस्तान के लोग मुत्तहिदा कौमीयत यानी सयुक्त राष्ट्रीयता के नाम पर कोई मतालबा यानी माँग पेश नहीं कर सकते । दूसरी यह कि मुसलमानो की तादाद हिन्दुओ के मुकाबले मे बहुत कम है इसलिये यहाँ जनतत्रात्मक सस्थाओ (डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्यूशन्स) के कायम होने का जरूरी नतीजा यह होगा कि बहुसंख्यक हिन्दुओ की हुकूमत कायम हो जायगी और मुसलमानो का अस्तित्व खतरे मे पड जायगा । मैं इस वक्त और ज्यादा विस्तार मे नहीं जाऊँगा । मैं आपको सिर्फ इतनी बात याद दिला दूँगा कि यदि इस मामले का शुरू का इतिहास मालूम करना चाहते हैं तो आपको हिन्दुस्तान के एक पिछले वायसराय लार्ड डफरिन और पश्चिमोत्तर प्रान्त के, जिसे अब सयुक्त प्रान्त कहते हैं, एक पिछले लेफ्टेनेण्ट गवर्नर सर आकलैण्ड कालविन के जमाने की तरफ लौटना चाहिये ।

ब्रिटिश साम्राज्य ने हिन्दुस्तान की सर जमीन मे समय समय पर जो बीज बोए उनमे से एक बीज यह था । इसमे तुरन्त फूल पत्ते फूट आए और यद्यपि पचास साल बीत चुके फिर भी अभी तक इसकी जडो की नमी खुश्क नहीं हुई ।

राजनैतिक भाषा मे जब कभी 'अल्पसंख्यक जाति', 'अकल्लियत' या 'माइनारिटी' ये शब्द बोले जाते हैं तो इनका यह मतलब नहीं होता कि मामूली गणित के हिसाब के कायदे से मनुष्यो की हर ऐसी संख्या जो एक दूसरी संख्या से कम हो जरूरी तौर पर 'माइनारिटी' होती है और उसे अपनी रक्षा की ओर से आशका या घबराहट होनी चाहिये । बल्कि इन शब्दो से मतलब एक ऐसी

कमजोर जमाअत का है जो तादाद और सलाहियत यानी सख्या और क्षमता दोनो की दृष्टि से अपने को इस योग्य नहीं पाती कि एक बडे और ताकतवर गिरोह के साथ रहकर अपनी रक्षा के लिये खुद अपने ऊपर भरोसा कर सके। इसके लिये केवल यही काफी नहीं है कि एक गिरोह सख्या मे दूसरे गिरोह से कम हो बल्कि यह भी जरूरी है कि उसकी अपनी सख्या खुद भी कम हो और इतनी कम हो कि उससे अपनी रक्षा की आशा न की जा सके। सख्या यानी नबरो के साथ साथ इसमे उस गिरोह की अपनी विशेषता का सवाल भी काम करता है। फर्ज कीजिये एक मुल्क मे दो गिरोह मौजूद है, एक की सख्या एक करोड है दूसरे की दो करोड। अब एक करोड दो करोड का आधा है और दो करोड से कम है मगर राजनैतिक दृष्टि से यह आवश्यक नहीं है कि केवल इसी अनुपात के फर्क की बिना पर हम उसे एक माइनारिटी फर्ज करके उसके अस्तित्व को कमजोर स्वीकार कर ले। इस तरह की माइनारिटी या अल्पसख्यक जाति होने के लिये सख्या के अनुपात के फर्क के साथ साथ दूसरी बातों का होना भी जरूरी है।

अब जरा गौर कीजिये कि इस दृष्टि से हिन्दुस्तान मे मुसलमानों की असली हैसियत क्या है ? आपको देर तक गौर करने की जरूरत न होगी। आप केवल एक निगाह मे देख लेंगे कि आपके सामने एक बहुत बड़ा गिरोह अपनी इतनी बडी और फैली हुई सख्या के साथ सर उठाए खडा है कि उसके विषय मे माइनारिटी या 'अल्पसख्या' की कमजोरियों का गुमान भी करना अपनी निगाह को साफ धोखा देना है।

उसकी सख्या इस देश मे सब मिलाकर आठ से नौ करोड के अन्दर है। यह सख्या देश की दूसरी जमाअतों की तरह पेशों के लिहाज से और पैतृक दृष्टि से टुकडों या जातों मे बँटी हुई नहीं है। इसलामी जिन्दगी के समता के असूल ने और इसलाम की बिरादराना यकजेहती के मजबूत रिश्ते ने इस सख्या को पेशों के तफरकों की कमजोरियों से बहुत दरजे तक बचा रखा है। यह सच है कि यह सख्या मुल्क की पूरी आबादी का एक चौथाई से ज्यादा नहीं है, लेकिन सवाल सख्या के अनुपात का नहीं है बल्कि खुद सख्या या उसकी विशेषता का है। क्या

मनुष्यों की इतनी बड़ी संख्या के लिये इस तरह की आशकाओं की कोई जायज वजह हो सकती है कि वह एक स्वाधीन और जनतन्त्रात्मक (डेमोक्रेटिक) हिन्दुस्तान में अपने हकों या हितों की खुद रक्षा न कर सकेगी ?

यह संख्या मुल्क के किसी एक हिस्से में सिमटी हुई नहीं है बल्कि एक खास बटवारे के साथ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में फैली हुई है। हिन्दुस्तान के ११ प्रान्तों में से चार ऐसे हैं जिनमें मुसलमानों की संख्या ज्यादा है यानी जहाँ उनकी 'अक्सरीयत' यानी मेजारिटी है और जहाँ दूसरी मजहबी जमाअतें अल्पसंख्या यानी माइनारिटी में हैं। यदि इसमें ब्रिटिश बलूचिस्तान को भी जोड़ लिया जावे तो चार की जगह मुसलिम 'अक्सरीयत' के पाँच प्रान्त हो जायेंगे। यदि हम अभी इस बात के लिये मजबूर हैं कि मजहबी तफरकें की बिना पर ही 'मेजारिटी' और 'माइनारिटी' की कल्पना करते रहे तो भी इस कल्पना में मुसलमानों की जगह केवल एक 'माइनारिटी' की देखाई नहीं देती। वह अगर सात सूबों में माइनारिटी की हैसियत रखते हैं तो पाँच सूबों में उन्हें मेजारिटी की जगह हासिल है। ऐसी स्थिति में कोई कारण नहीं कि उन्हें एक माइनारिटी ग्रुप होने का खयाल बेचैन करे।

हिन्दुस्तान का भावी कान्स्टीट्यूशन यानी शासन विधान और बातों में चाहे कैसा भी हो मगर उसकी एक बात हम सबको मालूम है। वह यह कि वह विधान पूरे अर्थों में एक आल इंडिया फेडरेशन का जनतन्त्रात्मक विधान होगा जिसके तमाम अलग अलग हलकें या यूनिट अपने अपने भीतरी मामलों में खुद-मुख्तार होंगे और फेडरल केन्द्र के सपुर्द केवल वही मामले रहेंगे जिनका सबंध सारे देश के व्यापक और संयुक्त प्रश्नों से होगा—मिसाल के लिये दूसरे देशों के साथ सबंध (फारन अफेयर्स), देश-रक्षा (डिफेन्स), जहाजी चुगी (कस्टम) वगैरह। ऐसी हालत में क्या यह मुमकिन है कि कोई भी समझदार आदमी जो किसी जनतन्त्रात्मक विधान के पूरी तरह अमल में आने और चलने का नक्शा थोड़ी देर के लिये भी अपने सामने ला सकता हो उन आशकाओं को स्वीकार करने के लिये तैयार होगा जिन्हें मेजारिटी और माइनारिटी के इस फरेब से

भरे हुए सवाल ने पैदा करने की कोशिश की है? मैं एक क्षण के लिये भी यह विश्वास नहीं कर सकता कि हिन्दुस्तान के भावी चित्र में इन आशकाओं के लिये कोई जगह निकल सकती है। वास्तव में ये सब आशकाएँ इसलिये पैदा हो रही हैं कि एक ब्रिटिश नीतिज्ञ के मशहूर शब्दों में जो, उसने आयरलैण्ड के विषय में कहे थे, हम अभी तक दरिया के किनारे पर खड़े हैं और यद्यपि तैरना चाहते हैं मगर दरिया में नहीं उतरते। इन आशकाओं का केवल एक ही इलाज है वह यह कि हमें दरिया में निश्चक और निर्भय होकर कूद पड़ना चाहिये। ज्योंही हमने ऐसा किया हम मालूम कर लेंगे कि हमारी तमाम आशकाएँ बे-बुनियाद और निस्सार थीं।

## हिन्दुस्तान के मुसलमानों के लिये एक बुनियादी सवाल

लगभग तीस बरस हुए मैंने एक हिन्दुस्तानी मुसलमान की हैसियत से इस मामले पर पहली बार गौर करने की कोशिश की थी। यह वह जमाना था जबकि मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद राजनैतिक संघर्ष के मैदान से बिल्कुल तटस्थ थी और आम तौर पर वही विचार चारों ओर छाए हुए थे जिनकी वजह से कुछ मुसलमानों ने सन् १८८८ में कांग्रेस से अलहदा रहने और उसकी मुखालफत करने का इरादा कर लिया था। उस समय की यह आम हवा मेरे सोच विचार की राह न रोक सकी। मैं बहुत जल्दी एक आखिरी नतीजे तक पहुँच गया, जिसने मेरे सामने विश्वास और व्यवहार, दोनों का मार्ग खोल दिया। मैंने देखा कि हिन्दुस्तान अपनी सारी परिस्थिति के साथ हमारे सामने मौजूद है और अपने भविष्य की ओर बढ़ रहा है। हम भी इसी किस्ती में सवार हैं और उसकी चाल से बेपरवाह नहीं रह सकते। इसलिये जरूरी है, कि हम अपने व्यवहार यानी अपने तर्जों अमल का एक साफ और अन्तिम फैसला कर लें। यह फैसला हम क्योंकर कर सकते हैं? केवल इस तरह कि हम मामले की ऊपरी सतह पर ही न रहे बल्कि उसकी बुनियादी तक पहुँचने की कोशिश करें और

फिर देखे कि हम अपने आपको किस हालत में पाते हैं। मैंने ऐसा ही किया और देखा कि इस सारे मामले का फैसला केवल एक सवाल के जवाब पर निर्भर है। वह सवाल यह है कि हम हिन्दुस्तानी मुसलमान हिन्दुस्तान के स्वाधीन भविष्य को आशका और अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं या हिम्मत और आत्म विश्वास की दृष्टि से? यदि पहली सूरत है तो निस्संदेह हमारा मार्ग बिलकुल दूसरा हो जाता है। समय का कोई एलान, भविष्य के लिये कोई वादा, या विधान का कोई संरक्षण फिर हमारी आशका और हमारे भय का वास्तविक इलाज नहीं हो सकता। हम मजबूर हो जाते हैं कि किसी तीसरी ताकत की मौजूदगी बरदाश्त करें। यह तीसरी ताकत मौजूद है और अपनी जगह छोड़ने के लिये तैयार नहीं है और हमें भी यही स्वाहिस रखनी चाहिये कि वह अपनी जगह न छोड़ सके। किन्तु यदि इसके खिलाफ हम यह महसूस करते हैं कि हमारे लिये भय और आशका की कोई वजह नहीं, हमें हिम्मत और आत्म विश्वास की दृष्टि से भविष्य की ओर देखना चाहिये तो फिर हमारे कर्तव्य का मार्ग बिलकुल साफ हो जाता है। हम फिर अपने आपको बिलकुल एक दूसरी दुनिया में पाने लगते हैं जहाँ आशका, द्विविधा, अकर्मण्यता और प्रतीक्षा की परछाही भी नहीं पड़ सकती; विश्वास, दृढता, कर्तव्यपालन और सरगामी का सूरज जहाँ कभी नहीं डूब सकता, वक्त का कोई उलझाव, परिस्थिति का कोई उतार चढ़ाव, मामलों की कोई चुभन हमारे कदमों का रुख नहीं बदल सकती। फिर हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय लक्ष्य के मार्ग में कदम उठाए आगे को बढ़े चले।

मुझे इस सवाल का जवाब मालूम करने में जरा भी देर नहीं लगी। मेरे दिल के एक एक तार एक एक रेशे ने पहली हालत से इनकार किया। मेरे लिये असंभव था कि इसकी कल्पना भी कर सकूँ। मैं किसी मुसलमान के लिये, बशर्ते कि उसने इस्लाम की रूह को, उसकी आत्मा को, अपने दिल के एक एक कोन से ढूँढकर निकाल न फेंका हो, यह मुमकिन नहीं समझता कि वह अपने को पहली हालत में देखना बरदाश्त कर सके।

मैंने सन् १९१२ में 'अलहिलाल' जारी किया और अपना यह फैसला मुसलमानों के सामने रक्खा। आपको यह याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी आवाज खाली नहीं गई। सन् १९१२ से १९१६ तक का जमाना हिन्दुस्तान के मुसलमानों की नई राजनैतिक करवट का जमाना था। सन् १९२० के आखीर में जब चार बरस की नजरबन्दी के बाद मैं रिहा हुआ तो मैंने देखा कि मुसलमानों के राजनैतिक विचार अपना पिछला साँचा तोड़ चुके हैं और नया साँचा ढल रहा है। इस घटना को अब बीस बरस गुजर चुके। इस अरसे में तरह तरह के उतार चढ़ाव होते रहे। घटनाओं की नई नई बाढ़ें आईं। विचारों की नई नई लहरें उठीं। किन्तु एक हकीकत बिना किसी परिवर्तन के अब तक कायम है। मुसलमानों की आम राय पीछे लौटने के लिये तैयार नहीं है।

हाँ, वह अब पीछे लौटने के लिये तैयार नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने के मार्ग के विषय में उसको फिर सदेह हो रहा है। मैं इस समय इस परिस्थिति के कारणों पर बहस नहीं करूँगा। मैं केवल नतीजे देखने की कोशिश करूँगा। मैं अपने हम मजहबों को याद दिलाऊँगा कि सन् १९१२ में मैंने जिस जगह से उन्हें मुखातिब किया था आज भी मैं उसी जगह खड़ा हूँ। इस तमाम बीच के समय में स्थितियों का जो ढेर हमारे सामने खड़ा कर दिया है उनमें कोई स्थिति ऐसी नहीं जो मेरे सामने से न गुजरी हो। मेरी आँखों ने देखने में और मेरे दिमाग ने सोचने में कभी कसर नहीं की। स्थितियाँ केवल मेरे सामने से गुजरी ही नहीं हैं मैं उनके अन्दर खड़ा रहा हूँ और मैंने एक एक स्थिति को जाँचा और पडताला है। मैं मजबूर हूँ कि मैं अपनी आँखों से देखे हुए और अपनी अक्ल से समझे हुए को न भुठलाऊँ।

मेरे लिये असंभव है कि अपने विश्वास से लड़ सकूँ। मैं अपनी अन्तरात्मा की आवाज को नहीं दबा सकता। मैं इस तमाम अरसे में उनसे कहता रहा हूँ और आज भी उनसे कहता हूँ कि हिन्दुस्तान के नौ करोड़ मुसलमानों के लिये केवल एक यही कर्तव्यपथ हो सकता है जिसकी ओर मैंने उन्हें सन् १९१२ में दावत दी थी।

मेरे जिन हम मजहबो ने सन् १९१२ मे मेरी बात को अपनाया था लेकिन आज जिन्हे मुझसे मतभेद है उन्हे मैं इसके लिये बुरा नहीं कहूँगा। किन्तु मैं उनसे अपील करूँगा कि वे इस प्रश्न पर निष्पक्ष होकर और गभीरता के साथ विचार करे। यह कौमो और मुल्को की किस्मतो का मामला है। हम इसे समय की क्षणिक भावनाओ के बहाव मे बहकर तय नहीं कर सकते। हमे जिन्दगी की ठोस हकीकतो की बिना पर अपने फैसलो की दीवारे तामीर करनी है। ऐसी दीवारे रोज बनाई और रोज ढाई नहीं जा सकती। मैं स्वीकार करता हूँ कि बदकिस्मती से वायुमण्डल इस समय गर्द से भरा हुआ है। मगर उन्हे हकीकत की रोशनी मे आना चाहिये। वह आज भी हर पहलू से मामले पर गौर कर ले। वह इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि कर्त्तव्य का उनके सामने कोई दूसरा मार्ग नहीं है।

## मुसलमान और संयुक्त राष्ट्रीयता

मैं मुसलमान हूँ और गर्व के साथ अनुभव करता हूँ कि मुसलमान हूँ। इसलाम की तेरह सौ बरस की शानदार रिवायते मेरी पैतृक सपत्ति है। मैं तैयार नहीं हूँ कि इसका कोई छोटे से छोटा हिस्सा भी नष्ट होने दूँ। इसलाम की तालीम, इसलाम का इतिहास, इसलाम के इल्म और फन और इसलाम की तहजीब मेरी पूँजी है और मेरा फर्ज है कि उसकी रक्षा करूँ। मुसलमान होने की हैसियत से मैं अपने मजहबी और कलचरल दायरे मे अपना एक खास अस्तित्व रखता हूँ और मैं बरदाश्त नहीं कर सकता कि इसमे कोई हस्तक्षेप करे। किन्तु इन तमाम भावनाओ के अलावा मेरे अन्दर एक और भावना भी है जिसे मेरी जिन्दगी की 'रिएलिटीज' यानी हकीकतो ने पैदा किया है। इसलाम की आत्मा मुझे उससे नहीं रोकती, बल्कि मेरा मार्ग प्रदर्शन करती है। मैं अभिमान के साथ अनुभव करता हूँ कि मैं हिन्दुस्तानी हूँ। मैं हिन्दुस्तान की अविभिन्न संयुक्त राष्ट्रीयता (नाकाबिले तकसीम मुत्तहिदा कौमीयत) का एक



अश हूँ। मैं इस सयुक्त राष्ट्रियता का एक ऐसा महत्वपूर्ण अश हूँ, उसका एक ऐसा टुकड़ा हूँ जिसके बिना उसका महत्त्व अधूरा रह जाता है। मैं इसकी बनावट का एक जरूरी हिस्सा हूँ। मैं अपने इस दावे से कभी दस्तबरदार नहीं हो सकता।

हिन्दुस्तान के लिये प्रकृति का यह फैसला हो चुका था कि इस सर जमीन में मनुष्य की मुख्तलिफ नसलो, मुख्तलिफ सभ्यताओ और मुख्तलिफ धर्मों के काफलो का सम्मिलन हो। अभी मानव इतिहास का प्रभात भी न हुआ था कि इन काफलो का यहाँ आना शुरू होगया और फिर एक के बाद एक, सिल-सिला जारी रहा। हिन्दुस्तान की विशाल सर जमीन सबका स्वागत करती रही और इस उदार भूमि की गोद में सबको जगह मिली। इन्ही काफलो में एक आखिरी काफला हम मुसलमानों का भी था। यह भी पिछले काफलो के पदचिह्नो पर चलता हुआ यहाँ पहुँचा और हमेशा के लिये बस गया। यह दुनिया की दो अलग अलग कौमो और तहजीबो की धाराओ का मिलन था। यह गंगा और जमुना की धाराओ की तरह पहले एक दूसरे से अलग अलग बहते रहे, लेकिन फिर प्रकृति के अटल नियम के अनुसार दोनों को एक ही सगम में मिल जाना पडा। इन दोनों का मेल इतिहास की एक जबरदस्त घटना थी। जिस दिन यह घटना हुई उमी दिन से प्रकृति के छिपे हुए हाथो ने पुराने हिन्दु-स्तान की जगह एक नए हिन्दुस्तान के ढालने का काम शुरू कर दिया।

हम अपने साथ अपनी पूँजी लाए थे और यह सर जमीन भी अपनी पूँजी से मालामाल थी। हमने अपनी दौलत इसके हवाले कर दी और उसने अपने खजानो के दरवाजे हम पर खोल दिये। हमने उसे इसलाम की पूँजी की वह सबसे ज्यादा कीमती चीज दे दी जिसकी उसे उस समय सबसे ज्यादा जरूरत थी। हमने उसे जम्हूरियत और इनसानी मसावात यानी जनतत्र और मानव एकता का सन्देश पहुँचा दिया।

इतिहास की पूरी ११ सदियाँ इस घटना पर बीत चुकी है। अब इसलाम भी इस सर जमीन पर वैसा ही दावा रखता है जैसा दावा हिन्दू धर्म रखता है। अगर हिन्दू धर्म कई हजार साल से इस सर जमीन के बाशिन्दो का धर्म रहा है

तो इसलाम भी एक हजार बरस से इसके बाशिन्दो का मजहब चला आता है। जिस तरह आज एक हिन्दू अभिमान के साथ कह सकता है कि वह हिन्दुस्तानी है और हिन्दू मजहब का माननेवाला है ठीक उसी तरह हम भी अभिमान के साथ कह सकते हैं कि हम हिन्दुस्तानी हैं और इसलाम मजहब के माननेवाले हैं। मैं इस क्षेत्र को इससे भी ज्यादा बढाऊँगा। मसलन मैं एक हिन्दुस्तानी ईसाई का भी यह अधिकार स्वीकार करता हूँ कि वह आज सर उठाकर कह सकता है कि मैं हिन्दुस्तानी हूँ और हिन्दुस्तान के बाशिन्दो के एक मजहब यानी ईसाई मजहब का माननेवाला हूँ।

हमारे ११ सदियों के मिले जुले इतिहास ने हमारी हिन्दुस्तानी जिन्दगी के एक एक कोने को अपने तामीरी सामानो यानी अपनी रचनात्मक सामग्री से भर दिया है। हमारी भाषाएँ, हमारी शायरी, हमारा साहित्य, हमारा सामाजिक जीवन, हमारी रुचि, हमारे शौक, हमारा लिबास, हमारे रस्म रिवाज, हमारे दैनिक जीवन की बेशुमार हकीकतें, कोई कोना भी ऐसा नहीं है जिस पर इस सयुक्त जीवन की छाप न लग चुकी हो। हमारी बोलियाँ अलग अलग थीं मगर हम एक ही जवान बोलने लगे। हमारे रस्म रिवाज एक दूसरे से जुदा थे मगर उन्होंने मिलजुल कर एक नया साँचा पैदा कर लिया। हमारा पुराना लिबास इतिहास के पुराने चित्रों में देखा जा सकता है मगर अब वह हमारे बदन पर नहीं मिल सकता। यह तमाम मिलीजुली पूँजी हमारी सयुक्त राष्ट्रीयता की एक दौलत है और हम इसे छोड़कर उस जमाने की तरफ लौटना नहीं चाहते जब हमारी यह मिलीजुली जिन्दगी शुरू नहीं हुई थी। हममें यदि ऐसे हिन्दू मस्तिष्क मौजूद हैं जो चाहते हैं कि एक हजार साल पहले का हिन्दू जीवन वापस ले आये तो उन्हें मालूम होना चाहिये कि वे एक स्वप्न देख रहे हैं जो कभी पूरा होने वाला नहीं है। इसी तरह अगर ऐसे मुसलमान दिमाग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि अपनी उस बीती हुई तहजीब और समाजी जिन्दगी को फिर ताजा करे जो वह एक हजार साल पहले ईरान और मध्य एशिया से लाए थे तो मैं उनसे भी कहूँगा कि इस स्वप्न से वह जितनी जल्दी

जाग जायँ बेहतर है, क्योंकि यह एक अप्राकृतिक कल्पना, एक गैर कुदरती तखय्युल है और इस तरह के खयालात वास्तविकता की जमीन में नहीं उग सकते। मैं उन लोगों में हूँ जिनका विश्वास है कि पुरानी चीजों को फिर से ताजा करने की, यानी रिवाइवलिज्म की, जरूरत मजहब के मैदान में है, लेकिन समाजी जिन्दगी में रिवाइवलिज्म का मतलब तरक्की से इनकार करना है। हमारे इस एक हजार साल के मिलेजुले जीवन ने एक सयुक्त राष्ट्रियता, एक मुत्तहिदा कौमीयत, का साँचा ढाल दिया है। इस तरह के साँचे बनाए नहीं जा सकते, वह प्रकृति के छिपे हुए हाथों से सदियों में खुद बखुद बना करते हैं। अब साँचा ढल चुका और भाग्य की मुहर उसपर लग चुकी। हम पसन्द करें या न करें मगर अब हम एक हिन्दुस्तानी कौम और अविभक्त यानी नाकाबिले तक-गीग हिन्दुस्तानी कौम बन चुके हैं। पृथकता की कोई बनावटी कल्पना हमारे इस एक होने को दो नहीं बना दे सकती। हमें प्रकृति के फैसले पर रजामन्द होना चाहिये और अपने भाग्य की तामीर में लग जाना चाहिये।

## अन्त

सज्जनों ! मैं आपका अब ज्यादा समय नहीं लूँगा। मैं अब अपनी तकरीर समाप्त करना चाहता हूँ। लेकिन समाप्त करने से पहले मुझे एक बात की याद दिलाने की इजाजत दीजिये। आज हमारी सारी कामयाबियों का दार मदार तीन चीजों पर है, हमारी सफलता इन्हीं पर निर्भर है—

इत्तहाद यानी एकता, डिसिप्लिन यानी अनुशासन, और महात्मा गान्धी के नेतृत्व, यानी उनकी रहनुमाई पर पूरा भरोसा। यही एकमात्र नेतृत्व है जिसने हमारे आन्दोलन का पिछला शानदार इतिहास तामीर किया है और केवल इसी से हम एक विजयी भविष्य की आशा कर सकते हैं।

हमारी परीक्षा का एक नाजुक समय हमारे सामने है। हमने सारी दुनिया की निगाहों को नजारा देखने की दावत दे दी है। कोशिश कीजिये कि हम इसके योग्य साबित हों।

